न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 220/2018

अनवान :

1 दुलीचन्द पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. सुरेशकुमार पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
4. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
5. रोशनी पुत्री रामकुमार पत्नि सहीराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी ढाणी मानां ग्राम पंचायत बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान।
6. शारदा पुत्री रामकुमार पत्नि श्रीचन्द जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी ढाणी मानां ग्राम पंचायत बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान।
7. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दीवानसिंह : वादी

निर्णय   दिनांक : 17-3-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 210/75 के खसरा सं0 191 की 1.3910 है0 खसरा सं0 300 की 1.2900 है0 खसरा सं0 622 की 1.5690 है0 खसरा सं0 715 की 7.0460 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 11.2960 है0 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 संयुक्त हिन्दू परिवार [illegible]यिक सदसय है जो हिन्दू विधि एवं हिन्दू उतराधिकार अधि[illegible] यह भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा श्योकरण पुत्र [illegible] खातेदारी हुआ करती थी। श्योकरण की फौतगी के बाद के बाद प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार को वाद विरासत में प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया सं0 5 व 6 ने [illegible] कृषि भूमि में से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। इस प्रकार वाद कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 बहिस्सा बराबर के अथात् प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी स0 8 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी दुलीचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रदर्श 2 फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी ग्राम भाडी सम्वत् 2047 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा श्योकरण के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामकुमार के वारिसान में चार पुत्र दुलीचन्द, सुरेश, जगदीश, रामनिवास व दो पुत्रियां शारदा व रोशनी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 210/75 के खसरा सं0 191 की 1.3910 है0 खसरा सं0 300 की 1.2900 है0 खसरा सं0 622 की 1.5690 है0 खसरा सं0 715 की 7.0460 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 11.2960 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 व 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:26 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 220/2018

अनवान :

1. दुलीचन्द पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. सुरेशकुमार पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. जगदीश प्रसाद पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
4. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
5. रोशनी पुत्री रामकुमार पत्नि सहीराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी ढाणी मानां ग्राम पंचायत बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान।
6. शारदा पुत्री रामकुमार पत्नि श्रीचन्द जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल निवासी ढाणी मानां ग्राम पंचायत बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान।
7. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 210/75 के खसरा सं0 191 की 1.3910 है0 खसरा सं0 300 की 1.2900 है0 खसरा सं0 622 की 1.5690 है0 खसरा सं0 715 की 7.0460 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 11.2960 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम दर्ज है मे तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 5 व 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद कृषि भूमि उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचों के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त कि[illegible] खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:45:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
मुकेश बारैठ
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner